न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 199/2020
आरसीएमएस **नम्बर : 2020/00301**

प्रार्थी:– **बनाम** **अप्रार्थीगण:–**

1. विकास अधिकारी पंचायत समिति, बाली

1. सरपंच ग्राम पंचायत भीटवाड़ा
2. समस्त ग्रामवासीगण भीटवाड़ा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत भीटवाड़ा तहसील बाली जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित।
अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 24/11/2020

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, भीटवाड़ा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी मिसल संख्या 648/12.09.1977, संकल्प संख्या 1 दिनांक 02.11.1977 एवं इसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 43 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद तामील नोटिस के आज अनुपस्थित रहने से बहस एकपक्षीय सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत भीटवाड़ा द्वारा मिसल संख्या 648 दिनांक 12.09.1977, संकल्प संख्या 1 दिनांक 02.11.1977 एवं इसकी पालना में पट्टा संख्या 43 जारी किया गया है, जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियमों के विपरीप जारी किया गया है। अतः काबिल निरस्त है। ग्राम पंचायत भीटवाड़ा के समक्ष चार व्यक्तियों सवाराम, भूरा, गमना एवं मगीया ने सार्वजनिक स्थान का पट्टा बनाने हेतु आवेदन पेश किया, जिससे की उक्त भूमि पर भविष्य में अतिक्रमण नहीं किया जा सके। जिस पर ग्राम पंचायत ने मिसल कायम करते हुए सार्वजनिक उपयोग हेतु 22560 वर्गफीट का निःशुल्क पट्टा जारी कर दिया। राजस्थान पंचायत अधिनियम (सामन्य नियम) के नियम 267 में भूमियों का निःशुल्क आवंटन बाबत उल्लेख है, इसके अनुसार सार्वजनिक उपयोग हेतु विक्रय विलेख निःशुल्क विक्रय विलेख जारी नहीं किया जा सकता है। ग्राम पंचायत को इस तरह का विक्रय विलेख जारी करने का अधिकार नहीं था, इसके बावजूद ग्राम पंचायत ने नियमों के विपरीत जाते हुए जैर निगरानी पट्टा जारी किया। वर्तमान में उक्त पट्टे के संबंध में विकास अधिकारी, बाली के सम्मुख शिकायत पेश होने पर, सहायक विकास अधिकारी, बाली द्वारा जांच करवाई गई। जिसके अनुसार उक्त पट्टा भूमि उक्त पट्टा भूमि के अन्दर स्थानीय विद्यालय का खेल मैदान पानी की टंकी, लोक जुम्बिश के कमरे जहां वर्तमान में आंगनवाड़ी केन्द्र द्वितीय संचालित है तथा गांव के मुख्य आवागमन का मार्ग भी इसी के अन्दर समाहित है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 02.11.1977 एवं इसकी पालना में जारी विक्रय विलेख संख्या 43 को निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से सरपंच, ग्राम पंचायत भीटवाड़ा ने दिनांक 05.10.2020 को जवाब पेश किया। जिसमें प्रार्थी के तथ्यों की ताईद करते हुए उल्लेख किया कि उक्त पट्टा भूमि वर्तमान में स्थानीय विद्यालय भवन, पानी की टंकी, लोक जुम्बिश के कमरे

अति. जिला कलेक्टर, पाली

तथा गांव के मुख्य आवागमन के मार्ग एवं ग्रामिणों के पट्टे समाहित है। इसके साथ ही उन्होंने बिन्दु संख्या 4 में उल्लेख किया कि विद्यालय भवन का कुछ हिस्सा जैर निगरानी पट्टा भूमि में समाहित होने से सम्पूर्ण विद्यालय का पट्टा बनाना संभव नहीं हो रहा है। अतः जैर निगरानी विक्रय विलेख निरस्त फरमाया जावें।

हमने सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के जवाब, पत्रावली एवं ग्राम पंचायत का रेकर्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत भीटवाड़ा के समक्ष मात्र चार व्यक्तियों ने समस्त ग्रामवासियों भीटवाड़ा की ओर से विक्रय विलेख जारी करने हेतु आवेदन पेश किया, जिस पर ग्राम पंचायत मिसल संख्या 648 दिनांक 12.09.1977 कायम कर समस्त ग्रामवासीगण ग्राम भीटवाड़ा के नाम 22560 वर्गफीट भूखण्ड का निःशुल्क पट्टा जारी कर दिया। आवेदन में यह अंकन है कि भूमि खाली पड़ी है तथा सार्वजनिक उपयोग में आ रही है तथा उक्त भूमि पर कोई व्यक्ति अतिक्रमण नहीं कर दे, इसलिए उक्त भूमि का पट्टा जारी कर ग्रामवासियो को सुपूर्द करें। राजस्थान पंचायत अधिनियम (सामान्य नियम) के नियम 256 में ग्राम पंचायत से आबादी भूमि क्रय करने हेतु आवेदन के संबंध में उल्लेख है, जिसके अनुसार कोई व्यक्ति भूमि का पट्टा जारी कराने हेतु लिखित में आवेदन कर सकता है अथवा कोई संस्था आवेदन कर सकती है। लेकिन जैर निगरानी विक्रय विलेख के संबंध में न तो किसी एक व्यक्ति ने, न ही किसी संस्था ने आवेदन किया है, मात्र चार व्यक्तियों ने समस्त ग्रामवासियों की ओर से आवेदन किया है तथा ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा भी किसी व्यक्ति या संस्था के नाम जारी नहीं कर समस्त ग्रामवासी ग्राम भीटवाड़ा के नाम जारी किया है, जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। साथ ही ग्राम पंचायत मात्र इसलिए समस्त ग्रामवासियों के नाम निःशुल्क पट्टा जारी नहीं कर सकती है कि उक्त भूमि पर अतिक्रमण हो जाएगा। ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अतिक्रमण किया जाता है, तो ग्राम पंचायत के पास उक्त व्यक्ति को आबादी भूमि से बेदखल करने का अधिकार है। राजस्थान पंचायत अधिनियम (सामान्य नियम) के नियम 267 में किन्हें निःशुल्क भूमि का आवंटन किया जाएगा, इसका उल्लेख किया गया है। उक्त नियम में समस्त ग्रामवासियों के नाम निःशुल्क भूमि आवंटन करने का उल्लेख नहीं है। सहायक विकास अधिकारी, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त पट्टे की सीमाओं का स्पष्ट अंकन नहीं है तथा उक्त पट्टे की भूमि पर वर्तमान में स्थानीय विद्यालय का खेल मैदान, पानी की टंकी, लोक जुम्बिश के कमरे जहां वर्तमान में आंगनवाड़ी केन्द्र द्वितीय संचालित है। इससे यह स्पष्ट है कि वर्तमान में जैर निगरानी भूखण्ड का सरकारी/गैर सरकारी कार्यो के रूप में उपयोग हो रहा है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर ग्राम पंचायत भीटवाड़ा के संकल्प संख्या 1 दिनांक 02.11.1977 एवं इसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 43 को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत भीटवाड़ा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में मिसल संख्या 648/12.09.1977, संकल्प संख्या 1 दिनांक 02.11.1977 एवं इसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 43 को अपास्त किया जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ मूल रेकर्ड ग्राम पंचायत भीटवाड़ा को भिजवाई जावे।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 24/11/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर, पाली